न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS

प्रकरण संख्या :– 31/2018

1. नवीन कुमार गर्ग पुत्र रतन लाल महाजन जाति महाजन निवासी पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयुपर।

अपीलान्ट

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र स्व. भोलाराम जोशी निवासी पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर(फौत)
   1/1 हरिशरण
   1/2 पुरूषोत्तम
   1/3 दिनेश
   1/4 सांवर पुत्रान स्व. बनवारी
   1/5 संतोष पुत्री स्व. बनवारी
2. ग्राम पंचायत पावटा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
3. पंचायत समिति विराटनगर जरिये प्रधान पंचायत समिति विराटनगर जयपुर(राज.)। समस्त जाति ब्राहमण निवासी पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 02.11.2007 पंचायत समिति विराटनगर बनवारीलाल बनाम नवीन कुमार गर्ग।

निर्णय

दिनांक 21.10.20

अपीलान्ट ने पंचायत समिति विराटनगर के आदेश 02.11.2007 से व्यथित होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है जिसमें तथ्य अपीलान्ट द्वारा निम्मन भांति पेश किये हैं।

1. यह है कि अपीलान्ट नवीन कुमार गर्ग को ग्राम पंचायत पावटा के द्वारा नियम– 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधान अनुसार दिनांक 12.09.2005 को जमीन का पट्टा दिया था जिसकी मिसल संख्या 4 पट्टा संख्या 47 है जिस जमीन का पट्टा दिया गया उक्त पट्टाशुदा जमीन पर अपीलान्ट काबिज चला आ रहा है तथा अपीलान्ट ने मकान बना रखे हैं। उक्त जारी पट्टा 12.09.2005 के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 बनवारीलाल ने विकास अधिकारी पंचायत समिति विराटनगर के यहां अपील की थी उक्त अपील को सुनने के लिए 6 व्यक्तियों की कमेटी बनाई गई तथा उक्त कमेटी ने अपना निर्णय दिनांक 02.11.2007 को यह दिया गया कि समिति के सदस्य बनवारी लाल शर्मा बनाम नवीन कुमार वगैरह निवासी पावटा की पत्रावली पेश की गई। दिनांक 21.09.2007 को मौका देखकर रिपोर्ट करने हेतु तीन सदस्यों की कमेटी गठित की गई थी। समिति द्वारा मौका रिपोर्ट व पट्टे का अवलोकन किया जाकर यह पाया कि नवीन कुमार ने गली रोककर दीवार खडी कर अतिक्रमण कर लिया है चुंकि यह भूमि आबादी भूमि में है आबादी भूमि मे अतिक्रमण हटाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। अतः पंचायत गली पर किये गये अतिक्रमण हटाकर पंचायत समिति को सूचित करे। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने अपील पेश की है।

Scanned with CamScanner

2. यह है कि निर्णय दिनांक 02.11.2007 विधिविरूद्ध तथा मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि पंचायत समिति विराटनगर का निर्णय मन तथ्यों पर आधारित होने से गलत कयास निकाल कर पारित किया है। अतः उक्त आदेश 02.11.2007 अपील निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह है कि पंचायत समिति विराटनगर ने उक्त आदेश देने से पूर्व रेस्पोडेंट की अपील पर गौर नही किया जबकि रेस्पोडेंट बनवारीलाल ने पंचायत समिति विराटनगर के समक्ष अपील पेश की उसमें यह इस्तदुआ चाही कि पट्टा दिनांक 12.09.2005 ग्राम पंचायत पावटा निरस्त फरमाया जावे तथा अपील मे यह कथन किया है कि पट्टा जो जारी हुआ है वह गलत जारी किया हुआ है जबकि पंचायत समिति ने अपने निर्णय मे यह कथन किया है कि नवीन कुमार ने गली को रोककर दीवार खडी कर अतिक्रमण कर लिया है चूंकि यह भूमि आबादी मे है आबादी भूमि में अतिक्रमण हटाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। अतः ग्राम पंचायत गली पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर पंचायत समिति को सूचित करे। इस प्रकार पंचायत समिति विराटनगर ने अपने निर्णय मे पट्टा का कोई हवाला नही दिया ना ही आदेश 12.09.2005 जिसके विरूद्ध बनवारी ने अपील की है उसका कोई हवाला दिया इस प्रकार अलग ही निर्णय दे दिया जबकि रेस्पोडेंट बनवारीलाल की अपील जो थी वह पट्टा गलत व निर्णय दिनांक 12.09.2005 को निरस्त कराने की थी उसका कोई हवाला नही देकर अलग निर्णय मात्र राजनैतिक द्वेषता के कारण पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि पंचायत समिति ने जो निर्णय पारित किया है वह एकतरफा निर्णय पारित किया है उक्त निर्णय पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नही दिया ना ही किसी प्रकार की सूचना दी गई अपीलान्ट के पिछे से निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।
6. यह है कि रेस्पोडेंट ने अपने निर्णय मे कथन किया है कि दिनांक 21.09.2007 को मौका देखकर रिपोर्ट करने हेतु तीन सदस्यों की कमेटी गठित की गई थी जबकि मौका रिपोर्ट देखने मात्र से ही प्रथम दृष्टया से ही गलत रिपोर्ट पेश की है जो कार्यालय में बैठकर मनमाने ढंग से तैयार की है। उक्त रिपोर्ट पर ना तो अपीलान्ट के हस्ताक्षर है ना ही रेस्पोडेंट के हस्ताक्षर हैं। उक्त रिपोर्ट कतई गलत है। रिपोर्ट तैयार करने नाही मौके पर गये तथा ना ही अपीलान्ट को सूचित किया तथा ना ही किसी प्रकार की मौके पर नाप जोख की गई मात्र एकतरफा निर्णय देने की गर्ज से झूठी रिपोर्ट तैयार की है। अतः पंचायत समिति विराटनगर का निर्णय 02.11.2007 निरस्त किया जाने योग्य है।
7. यह है कि 29.11.2007 को ग्रामवासियों ने बताया कि बनवारी लाल ने आपके विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित करवा लिया है जो दिनांक 30.11.2007 को नकल प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील श्रीमान के समक्ष पेश की है।
8. यह है कि अपीलान्ट ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है। पंचायत समिति विराटनगर द्वारा अपने निर्णय मे जो अतिक्रमण बताया है वह कतई निराधार है जबकि पट्टे मे एवं मौके पर कोई गली मौजूद नही है। अतः निर्णय 02.11.2007 निरस्त किये जाने योग्य है।
9. यह है कि उक्त अपील मान्य न्यायालय को श्रवणाधिकार है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति विराटनगर द्वारा पारित निर्णय 02.11.2007 बनवारी बनाम नवीनकुमार गर्ग निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
जयपुर (जयपुर)

Scanned with CamScanner

10. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 मृतक बनवारीलाल के वारिसान को तामील जरिये अखबार प्रकाशन कराये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही आने से एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड कराई जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही आये इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07.08.2019 निहित की गई।

11. बहस अपीलान्ट वकील सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि पंचायत समिति विराटनगर द्वारा उनवानी अपील बनवारीलाल बनाम नवीनकुमार मे पारित आदेश 02.11.2007 विधिविरूद्ध एवं मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत है तथा मन तथ्यों पर गलत कयास निकालकर पारित किया है। अपीलान्ट नवीन कुमार को ग्राम पंचायत पावटा के द्वारा नियम 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के प्रावधान अनुसार पट्टा संख्या 47 दिनांक 12.09.2005 को दिया था उक्त पट्टाशुद्वा जमीन पर अपीलान्ट काबिज चला आ रहा है तथा अपीलान्ट ने मकान बना रखा है। उक्त पट्टा को खारिज कराने के लिए रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति विराटनगर के यहां अपील पेश की गई थी उक्त अपील को सुनने के लिए 6 व्यक्तियों की समिति बनाई गई। मौके की रिपोर्ट तैयार करने हेतु तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर 21.09.2007 को मौका देखकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश हुए थे। तीन सदस्य कमेटी द्वारा दिनांक 21.09.2007 को श्री सुरेश कुमार नागर, हरिराम कपूरिया, रामौतार सिंह द्वारा मौका मुआयना बनवारी बनाम नवीनकुमार मे किया गया तथा उनके द्वारा मौका देखा गया। दोनों पक्षकारों के पट्टे मगांकर मौके पर नाप जोख की गई इसमें पाया कि बनवारी लाल ज्योसी व नवीन कुमार के मकान के बीच में तीन फुट की गली थी लेकिन आगे आकर नवीन कुमार गर्ग ने गली को समाप्त कर दी और गली की जमीन अपने मकान मे शामिल कर लिया। उक्त कमेटी द्वारा पट्टा मंगवाया जाकर देखा गया तो जितने फिट का पट्टा जारी कर रखा है वह गलत साबित है क्योंकि पट्टे की लिखतम के आधार पर गली को भी शामिल किया जाता है तो भी वह जगह किसी हालत मे पूर्ण नही होती है। आगे आम रास्ता है जो पक्का रोड बना हुआ है। सभी पंचायत समिति सदस्यों का सर्व सम्मति से निर्णय है कि नवीन कुमार गर्ग की दीवार तोडकर गली पूरी खोल दी जावे।

6 सदस्यों की समिति द्वारा प्रस्ताव बाबत पट्टे सम्बन्धित पत्रावलियों पर विचार कर निर्णय इस प्रकार पारित किया गया कि तीन सदस्यों की कमेटी द्वारा मौका रिपोर्ट 21.09.2007 पेश की गई जो समिति ने मौका रिपोर्ट एवं पट्टे का अवलोकन किया अवलोकन करने पर पाया कि नवीन ने गली को रोककर दीवार खडी कर अतिक्रमण कर लिया है चुंकि यह भूमि आबादी भूमि मे है आबादी भूमि मे अतिक्रमण हटाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। अतः ग्राम पचायत गली पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर पंचायत समिति को सूचित करे। उक्त निर्णय समिति द्वारा पारित किया गया है। वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि किसी भी आदेश व निर्णय को पारित करते समय पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विकास अधिकारी पंचायत समिति विराटनगर के समक्ष अपीलान्ट नवीन कुमार के हक मे जारी किया गया पट्टा को निरस्त कराने का पेश किया गया था पट्टे को निरस्त नही करने का हवाला देकर समिति द्वारा अपने निर्णय मे यह आदेश पारित किया है कि नवीन कुमार ने गली को रोककर दीवार खडी कर अतिक्रमण कर लिया है। क्योंकि यह भूमि आबादी भूमि में है। अतिक्रमण हटाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाया जाकर पंचायत समिति को सूचित करे। जबकि तीन सदस्यों की कमेटी द्वारा दिनांक

Scanned with CamScanner

21.09.2007 को मौका देखकर दोनो पक्षों के पट्टा देखा जाकर नाप जोख की गई इसमे पाया कि नवीन कुमार व बनवारी के मकानों के मध्य 3 फिट की गली थी जो आगे चलकर नवीन ने गली को समाप्त कर दी और गली की जमीन अपने मकान मे शमिल कर ली। कमेटी द्वारा पट्टा देखा गया तो जितने फिट का पट्टा जारी कर रखा है वह गलत है। अगर गली की सम्पूर्ण भूमि को भी शामिल किया जावे तो भी वह जगह पूर्ण नही होती है। जब अपीलान्ट नवीन कुमार की पट्टेशुदा जमीन ही पूरी नही होती है तो ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण करना अपीलान्ट का सवाल ही पैदा नही होता है क्योंकि तीन सदस्यीकमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया है कि यदि 3 फिट की सम्पूर्ण भूमि भी पट्टे मे शामिल की जाती है तो भी पट्टे के माप अनुसार भूमि पूर्ण नही होती है। यानि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया है उसके नाप अनुसार अपीलान्ट की भूमि मौके पर कम है। ऐसी स्थिति में समिति द्वारा पारित आदेश 02.11.2007 यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः रेस्पोडेंट संख्या 3 पंचायत समिति विराटनगर द्वारा पारित किया गया निर्णयं अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर विकास अधिकारी पावटा को आदेश दिये जाते हैं कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर मौका एवं पट्टे अभिलेख की पूर्ण जांच कर पक्षकारों को संतुष्ट कर नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

12. यह निर्णय आज दिनांक 21.10.20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)